न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 25/2018/आवेदन 136 एलआर एक्ट

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सरदारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या, वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य   **दिनांक – 26.12.2019**

1. आवेदन का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 189, 190, 192 ता 195 किता 6 कुल रकबा 3.71 हैक्टर, ख0नं0 470 ता 478, 478/845, 479 ता 484, 486 ता 493 किता 24 कुल रकबा 16.67 हैक्टर वाके ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें संहवन सें प्रार्थी के दादा भगताराम का गलत व अशुद्ध नाम बख्तावर दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता के दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर आईडी, सरकारी सर्विस के दस्तावेजात आदि में प्रार्थी के दादा का नाम भगताराम दर्ज है जो सही है। प्रार्थी के दादा को दो नामों " भगताराम व बख्तावर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता था। उक्त वर्णित भूमियां पुश्तैनी भूमियां है प्रार्थी व उसके पिता की अज्ञानता एवं संहवन सें उक्त भूमियों में प्रार्थी के दादा का नाम गलत रूप सें बख्तावर दर्ज हो गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के दादा का नाम सही दर्ज है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई ककि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के पिता के नाम सरदारी लाल पुत्र बख्तावर को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सरदारी लाल पुत्र भगताराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 189, 190, 192 ता 195 किता 6 कुल रकबा 3.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

71 हैक्टर, ख0नं0 470 ता 478, 478/845, 479 ता 484, 486 ता 493 किता 24 कुल रकबा 16.67 हैक्टर वाके ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी के पिता का नाम सरदारी लाल पुत्र बख्तावर के स्थान पर सरदारी लाल पुत्र भगताराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम दुरूस्त कर बख्तावर के स्थान पर भगताराम दर्ज करने की अभिशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र सें स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2951 की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः **प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 189, 190, 192 ता 195 किता 6 कुल रकबा 3.71 हैक्टर, ख0नं0 470 ता 478, 478/845, 479 ता 484, 486 ता 493 किता 24 कुल रकबा 16.67 हैक्टर में दर्ज खातेदार सरदारा पुत्र बख्तावर के स्थान पर सरदारमल पुत्र भगताराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner